

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2007

(आयकर)

का.आ. 1447(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय एवं कम्पनी मामले (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ.279(अ) में निम्नलिखित आगे और संशोधन करता है, नामतः:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः:-

“सारणी”

क्रम संख्या	मुख्य आयुक्त/आयकर महा निदेशक	आयकर आयुक्त/निदेशक	अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1..	आयकर महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) दिल्ली	आयकर निदेशक (अंतरण मूल्य निर्धारण) दिल्ली-1	(i) संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी) - I(1), दिल्ली (ii) संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-I(2), दिल्ली (iii) संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-I(3), दिल्ली (iv) संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-I, चंडीगढ़ (v) संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-I, जयपुर (vi) उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-I(4), दिल्ली (vii) उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-I(5), दिल्ली (viii) उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-I(6), दिल्ली (ix) उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-II, चंडीगढ़ (x) उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-II, जयपुर

2.	आयकर महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) दिल्ली	आयकर निदेशक (अंतरण मूल्य निर्धारण) दिल्ली-॥	(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x)	संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी) -॥(1), दिल्ली संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-॥(2), दिल्ली संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-॥(3), दिल्ली संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-॥(4), दिल्ली उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-॥(5), दिल्ली उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-॥(6), दिल्ली उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-॥(7), दिल्ली उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)॥(8), दिल्ली उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-॥, कानपुर उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-॥, कानपुर
3.	आयकर महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) दिल्ली	आयकर निदेशक (अंतरण मूल्य निर्धारण) मुम्बई-॥	(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii)	संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी) -॥(1), मुम्बई संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-॥(2), मुम्बई संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-॥(3), मुम्बई संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-॥(4), मुम्बई संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-॥(5), मुम्बई उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-॥(6), मुम्बई उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-॥(7), मुम्बई उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-॥(8), मुम्बई

			(ix)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- I(9), मुम्बई
			(x)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- I(10), मुम्बई
4.	आयकर महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) दिल्ली	आयकर निदेशक (अंतरण मूल्य निर्धारण) मुम्बई-II	(i)	संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-II(1), मुम्बई
			(ii)	संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-II(2), मुम्बई
			(iii)	संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-II(3), मुम्बई
			(iv)	संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-II(4), मुम्बई
			(v)	संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-II(5), मुम्बई
			(vi)	संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-II(6), मुम्बई
			(vii)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- II(7), मुम्बई
			(viii)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- II(8), मुम्बई
			(ix)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- II(9), मुम्बई
			(x)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- II(10), मुम्बई
			(xi)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- II(11), मुम्बई
			(xii)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- II(12), मुम्बई
5.	आयकर महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) दिल्ली	आयकर निदेशक (अंतरण मूल्य निर्धारण) बंगलौर	(i)	संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-I, बंगलौर
			(ii)	संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-II, बंगलौर
			(iii)	संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-III, बंगलौर
			(iv)	संयुक्त आयकर आयुक्त(अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)-I, हैदराबाद
			(v)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- IV, बंगलौर

			(vi)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- V, बंगलौर
			(vii)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- VI, बंगलौर
			(viii)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- II, हैदराबाद
6.	आयकर महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) दिल्ली	आयकर निदेशक (अंतरण मूल्य निर्धारण) कोलकाता	(i)	संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- I, कोलकाता
			(ii)	संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- II, कोलकाता
			(iii)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- III, कोलकाता
			(iv)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- IV, कोलकाता
7.	आयकर महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) दिल्ली	आयकर निदेशक (अंतरण मूल्य निर्धारण) चेन्नई	(i)	संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी) - I, चेन्नई
			(ii)	संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- II, चेन्नई
			(iii)	संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- III, चेन्नई
			(iv)	संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- I, कोचीन
			(v)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- IV, चेन्नई
			(vi)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- V, चेन्नई
			(vii)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- VI, चेन्नई
			(viii)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- II, कोचीन
8.	आयकर महानिदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) दिल्ली	आयकर निदेशक (अंतरण मूल्य निर्धारण) पुणे	(i)	संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी) - I, पुणे
			(ii)	संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- II, पुणे
			(iii)	संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- I, अहमदाबाद
			(iv)	संयुक्त आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- I, रायपुर

			(v)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- III, पुणे
			(vi)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- IV, पुणे
			(vii)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- II, अहमदाबाद
			(viii)	उप आयकर आयुक्त अथवा सहायक आयकर आयुक्त (अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी)- II, रायपुर

[अधिसूचना संख्या 232/2007/फा.सं. 187/09/2007-आ.क.नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ.279 (अ) दिनांक 12 मार्च, 2003 के तहत प्रकाशित की गई और तत्पश्चात् का.आ. 1768(अ) दिनांक 15 दिसम्बर, 2005 एवं का.आ.1530(अ) दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत संशोधित की गई।